फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

कल्याण **बनाम** मूलचन्द

ा / वर्ष : 333 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी। वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद का तकासमा करने का निवेदन किया तथा सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 रा० काश्तकारी अधि० के मुताबिक कुर्रेजात अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार कर तकासमा हेतु निर्णीत किया जाता है। मुताबिक कुर्रेजात के बंटवारा / तकासमा किया जाता है। बिन्दुवार निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जाकर निर्णय अनुसार अमलदरामद कराया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर में दर्ज हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
333/2019	18/11/2019	16/05/2024

1. कजोड पुत्र भैरू जाति मीना निवासी सरजोली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर। **वादी**

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र मंगला
2. श्री किशन पुत्र स्व0 नारायण
3. रामफूल पुत्र स्व0 नारायण
4. गणेश पुत्र स्व0 नारायण
5. सुखदेव पुत्र स्व0 भागा
6. कैलाशी पत्नि स्व0 जगदीश
7. कुलदीप पुत्र स्व0 जगदीश ना0बा0जरिये माता कैलाशी देवी जाति मीना निवासी सरजोली, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
8. राज0 सरकार तहसीलदार, जमवारामगढ, जयपुर।
9. उप पंजियक महोदय, जमवारामगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :— वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम सरजोली, तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी में स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 160 रकबा 0.01है0, 161 रकबा 0.37है0, 205 रकबा 0.02है0, 206 रकबा 1.66है0, 264 रकबा 0.34है0, 265 रकबा 0.03है0, 266 रकबा 0.05है0, 267 रकबा 0.52है0, 272 रकबा 1.25है0, 278 रकबा 1.00है0, 280 रकबा 0.28है0, 314 रकबा 2.38है0, किता 12 कुल रकबा 7.91है0 भूमियां है। जिनका वादी संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 15.02.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने पत्रांक/भू0अ0/2024/571 दिनांक 09.02.2024 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सरज़ोली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	कजोड पुत्र भैरू हि0 1/2 राहिन पीएनबी शाखा बस्सी, कुलदीप पुत्र जगदीश, पूजा पुत्री जगदीश, कैलाशी पत्नि जगदीश हि0 1/18 राहिन पीएलबी शाखा खवारानीजी, नैना पत्नि भगवान सहाय हि0 1/18 राहिन पीएनबी शाखा खवारानीजी, सुखदेव पुत्र भगवान सहाय हि0 1/18 राहिन पीएलबी शाखा खवारानीजी, मूलचन्द पुत्र मंगला हि0 1/6 राहिन यूको बैंक शाखा कानोता, गणेशनारायण, रामफूल, श्रीकिशन पि0 नारायण हि0 4/27, ग्यारसी देवी पत्नि नारायण हि0 1/54 जाति मीना सा0देह खातेदार	160 161 205 206 264 265 266 267 272 314	0.01 0.37 0.02 1.66 0.34 0.03 0.05 0.52 1.25 2.38	गै.मु.चाह चा04 गै.मु.चाह चा03 चा01 गै.मु.चाह गै.मु.चाह चा01 चा01 बा0 2	–
	योग	किता 10	6.63	–	–

-: प्रस्तावित :-

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	कजोड पुत्र भैरू जाति मीना राहिन पीएनबी शाखा बस्सी सा0देह खातेदार	314/1 161 160 264 267/3 272/1 272/4 272/6 206/7 206/5	1.19 0.37 0.01 0.34 0.08 0.34 0.03 0.13 0.38 0.35	बा02 चा04 गै.मु.चाह चा01 चा01 चा01 चा01 चा01 चा03 चा03	–
	योग	किता 10	3.22	–	–
2	कुलदीप पुत्र जगदीश, पूजा पुत्री जगदीश, कैलाशी पत्नि जगदीश हि0 1/3 राहिन पीएनबी शाखा खवारानीजी, नैना पत्नि भगवान सहाय हि0 1/3, सुखदेव पुत्र भगवान सहाय हि0 1/3 राहिन पीएनबी शाखा खवारानीजी सा0देह खातेदार	314/3 272/2 272/7 267/1 206/3 206/9	0.40 0.12 0.12 0.18 0.07 0.19	बा02 चा01 चा01 चा01 चा03 चा03	–
	योग	किता 6	1.08	–	–
3	मूलचन्द पुत्र मंगला जाति मीना राहिन यूको बैंक शाखा कानोता सा0देह खातेदार	314/2 272/3 205 267/2 206/2 206/6	0.39 0.16 0.02 0.18 0.07 0.26	बा02 चा01 गै.मु.चाह चा01 चा03 चा03	–
	योग	किता 6	1.08	–	–
4	गणेशनारायण, रामफूल, श्रीकिशन पि0 नारायण हि0 8/9, ग्यारसी देवी पत्नि नारायण हि0 1/9 जाति मीना सा0देह खातेदार	314/4 272/5 267/4 206/1 206/8	0.40 0.35 0.0.08 0.07 0.17	बा02 चा01 चा01 चा03 चा03	–
	योग	किता 5	1.07	–	

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

5	शामलाती जमाबन्दी अनुसार	265 266 206/4	0.03 0.05 0.10	गै.मु.चाह गै.मु.चाह चा03	—
	योग	किता 3	0.18	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ